न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, I.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 78/18 (वाद)

1. श्री रामलाल पिता कजोड गाडरी निवासी धारता तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री चुन्नीलाल मुतबन्ना हीरा गाडरी निवासी धारता तह. मावली।
2. श्रीमती भोली बेवा नाना गाडरी निवासी धारता तह. मावली।
3. श्री कन्हैयालाल पिता लाला गाडरी निवासी धारता तह. मावली।
4. श्रीमती पुष्पा पिता लाला पत्नी भगवानलाल गाडरी निवासी धारता तह. मावली।
5. श्रीमती लाली बेवा लाला गाडरी निवासी धारता तह. मावली।
6. श्री उदा पिता देवा गाडरी निवासी धारता तह. मावली।
7. मु. धापु बेवा भुरा गाडरी निवासी धारता तह. मावली।
8. श्रीमती चम्पा पिता भुरा पत्नी लोगर गाडरी निवासी धारता तह. मावली।
9. श्रीमती नानी पिता भुरा पत्नी नारायण लाल गाडरी निवासी हाल मुरडीया तह. वल्लभनगर।
10. श्रीमती भुरीबाई पत्नी रामा गाडरी निवासी धारता तह. मावली।
11. श्री खेमराज पिता देवा गाडरी निवासी धारता तह. मावली।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित– 1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता वादी।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) मावली

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक 21.01.2020

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धारता पटवार हल्का खेमपुर के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 803, 806, 808, 810, 811, 812, 813, 814 किता 8 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 3 के नाम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 से 9 के नाम 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 11 के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज हैं। परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी नम्बर 784, 785, 804, 805, 807, 809, 837, 838, 839 किता 9 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी व प्रतिवादी सं. 1, 3 से 9 के नाम संयुक्त रूप 30/258 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 10 के नाम 13/258 हिस्सा दर्ज हैं। परिशिष्ट ग में वर्णित आराजी नम्बर 855 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा उक्त

Akshay
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

Scanned with CamScanner

आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादी सं. 1 के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। परिशिष्ट घ में वर्णित आराजी नम्बर 856 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 के नाम 1/3+1/27 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4, 5 के नाम 2/27 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 7, 8, 9 के नाम 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 11 के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। परिशिष्ट ड में वर्णित आराजी नम्बर 786 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से वादी व प्रतिवादी सं. 1, 3 से 9 के नाम दर्ज हैं।

2. यह कि वादी व प्रतिवादीगणों के खानदान का सजरा निम्न है :–

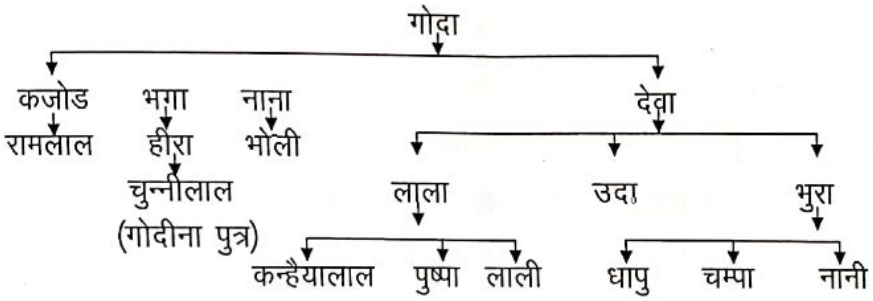

उक्त सजरे में गोदा, कजोड, भगा, नाना, देवा, हीरा, लाला व भुरा की मृत्यु हो चुकी हैं।

3. यह कि वादी के पिता कजोड के चार भाई भगा, नाना, देवा थे व भगा के हीरा हुआ व नाना के कोई लडका नहीं होने से नाना की पत्नी भोली है जो जीवित है तथा देवा के तीन लडके लाल, उदा, भुरा हुए लाला व भुरा की मृत्यु हो चुकी है देवा का पुत्र उदा जीवित है लाल के वारिस प्रतिवादी सं. 3, 4, 5 है तथा भुरा के वारिस प्रतिवादी सं. 7, 8, 9 हैं। भगा का पुत्र हीरा के कोई लडका लडकी नहीं होने से वादी के भाई अर्थात् कजोड के पुत्र चुन्नीलाल को हीरा के गोद रखा व हीरा की मृत्यु सम्वत् 2038 अगण मिती 1 को हुई थी व हीरा के मृत्यु के बाद हीरा के सामाजिक क्रियाकर्म, पीण्ड वगैरह प्रतिवादी सं. 1 चुन्नीलाल ने ही भरे व सामाजिक रिति रिवाज अनुसार हीरा की पगडी को गोद रखा तब भाट की पोती में भी उक्त गोदनामें की लिखापढी विक्रय सम्वत् 2038 माह शुदी 9 को की थी व उक्त भाट की पोती में यह भी उल्लेख किया था कि कजोड की जायदाद वादी रामलाल के रहेगी व हीरा की जायदाद प्रतिवादी सं. 1 चुन्नीलाल के रहेगी।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

Scanned with CamScanner

4. यह कि वादी के पिता कजोड की मृत्यु के बाद कजोड के विरासत का नामान्तरकरण सं. 294 दिनांक 20.05.2003 वादी अकेले के नाम नहीं खुल कर वादी व प्रतिवादी सं. 1 चुन्नीलाल के नाम खुल कर स्वीकृत हो गया जो गलत है क्योकि प्रतिवादी सं. 1 चुन्नीलाल हीरा के गोद चला गया तब से हीरा की जायदाद पर चुन्नीलाल काबिज है तथा हीरा के प्रतिवादी सं. 1 चुन्नीलाल गोद चले जाने के बाद कजोड की जायदाद में चुन्नीलाल का कोई हक व अधिकार नहीं रहा है लेकिन कजोड की विरासत का नामान्तरण प्रतिवादी सं. 1 चुन्नीलाल के नाम पर खुल जाने से वाद में वर्णित परिशिष्ट क में अंकित आराजीयात का 1/8 हिस्सा, नुमाईशी विक्रय पत्र से प्रतिवादी सं. 11 को विक्रय कर दिया इसी तरह परिशिष्ट घ में वर्णित आराजीयात का 1/6 हिस्सा भी प्रतिवादी सं. 1 ने नुमाईशी विक्रय पत्र से प्रतिवादी सं. 11 को विक्रय कर दिया तथा परिशिष्ट ख में वर्णित आराजीयात में भी प्रतिवादी सं. 1 ने नुमाईशी विक्रय पत्र से प्रतिवादी सं. 10 को विक्रय कर दी जो वादी के मुकाबले बेअसर व शुन्य है क्योंकि कजोड के हिस्से की आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 का कोई हक व अधिकार नहीं हैं। जब प्रतिवादी सं. 1 का कजोड के हिस्से की आराजीयात में कोई हक व अधिकार ही नहीं है तो प्रतिवादी सं. 1 को प्रतिवादी सं. 10 व 11 को नुमाईशी विक्रय पत्र से उक्त हिस्सा विक्रय करने का भी कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

5. यह कि हीरा की मृत्यु के बाद हीरा के विरासत का नामान्तरकरण प्रतिवादी सं. 1 चुन्नीलाल अकेले के नाम खुलना चाहिए था जो नहीं खुला बल्कि हीरा के विरासत का नामान्तरकरण सं. 141 वादी के पिता कजोड व प्रतिवादी सं. 2 के पति नाना व प्रतिवादी सं. 7, 8, 9 के पिता/पति भुरा व प्रतिवादी सं. 3, 4, 5 के पिता/पति लाला व प्रतिवादी सं. 6 उदा के नाम खुल कर स्वीकृत हुआ है वह गलत है क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 चुन्नीलाल को सामाजिक रिति रिवाज अनुसार हीरा के गोद रखा था इसलिए हीरा के विरासत का नामान्तरण भी प्रतिवादी सं. 1 चुन्नीलाल अकेले के नाम पर ही खुल कर स्वीकृत होना चाहिए था।

6. यह कि वाद में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 चुन्नीलाल का नाम कजोड की विरासत खुलते समय जोड दिया है उसे हटाया जाना आवश्यक है क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 चुन्नीलाल हीरा के गोद चला गया व हीरा की मृत्यु वादी के

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

Scanned with CamScanner

पिता कजोड से पूर्व हुई थी इसलिए कजोड जायदाद में प्रतिवादी सं. 1 का कोई हक व अधिकार नही है इसलिए वादी वाद के परिशिष्ट क में अंकित आराजीयात के 1/8 हिस्सें का तथा परिशिष्ट ख में वर्णित आराजीयात के 30/258 हिस्सें का व परिशिष्ट ग में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात का तथा परिशिष्ट घ में वर्णित आराजीयात के 1/6 हिस्से का व परिशिष्ट ड में वर्णित आराजीयात का 1/4 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाते हुए प्रतिवादी सं. 1 व 10, 11 का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जावे व वादी व अन्य प्रतिवादीगण के मध्य उपरोक्त हिस्से अनुसार बंटवाडा करा वादी व अन्य प्रतिवादीगणों के नाम अलग–अलग अमल दरामद कराया जावे। इसलिए घोषणा व बंटवाडा का यह वाद प्रस्तुत हैं।

7. यह कि वाद में वर्णित आराजीयात कजोड की विरासत से प्रतिवादी सं. 1 के नाम गलत दर्ज हो जाने से तथा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा नुमाईशी विक्रय पत्र से वाद के परिशिष्ट क, ख व घ में वर्णित आराजीयात को प्रतिवादी सं. 10 व 11 को विक्रय कर दी जिससे प्रतिवादी सं. 10 व 11 के नाम दर्ज होने से तथा वाद में वर्णित परिशिष्ट ग व ड में वर्णित आराजीयात प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज होने से उक्त आराजीयात को प्रतिवादी सं. 1, 10 व 11 खुर्द–बुर्द कर विक्रय हस्तान्तरण करने पर उतारू होने से तथा वादी को कजोड के हिस्से की आराजीयात से बेदखल करने पर उतारू होने से प्रतिवादी सं. 1, 10 व 11 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराना आवश्यक हो गया है कि वाद में वर्णित आराजीयात को किसी अन्य अजनबी व्यक्ति को बिना बंटवाडा कराये अपने हिस्से से अधिक भूमि को किसी अन्य अजनबी व्यक्ति को बिना बंटवाडा कराये अपने हिस्से से अधिक भूमि को विक्रय हस्तान्तरण नहीं करें, खुर्द–बुर्द करे, न वादी को कजोड के हिस्से की आराजीयात से बेदखल करे, वादी को कजोड के हिस्से की आराजीयात का उपयोग उपभोग करने देवे इसमें कोई रूकावट पैदा नहीं करे। प्रतिवादीगणों के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगणों को कोई नुकसान या क्षति नहीं होगी। बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से वादी को भारी नुकसान व क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों पैसों से किया जाना सम्भव नहीं हैं।

akshay
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

Scanned with CamScanner

8. यह कि वाद कारण दिनांक 16.04.2017 को पैदा हुआ। जब प्रतिवादीगणों ने वादी को कजोड के हिस्से की आराजीयात से बेदखल करने की धमकी दी तब पैदा हुआ व वाद कारण पैदा होकर निरन्तर जारी हैं।

9. अतः वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगणों के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद के परिशिष्ट क में अंकित आराजीयात के 1/8 हिस्सें का तथा परिशिष्ट ख में वर्णित आराजीयात के 30/258 हिस्सें का व परिशिष्ट ग में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात का तथा परिशिष्ट घ में वर्णित आराजीयात के 1/6 हिस्से का व परिशिष्ट ड में वर्णित आराजीयात का 1/4 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाते हुए प्रतिवादी सं. 1 व 10, 11 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे व वादी व अन्य प्रतिवादीगण के मध्य उपरोक्त हिस्से अनुसार बंटवाडा करा वादी व अन्य प्रतिवादीगणों के नाम अलग–अलग अमल दरामद कराया जावें। वाद में वर्णित आराजीयात को प्रतिवादी किसी अन्य अजनबी व्यक्ति को बिना बंटवाडा कराये अपने हिस्से से अधिक भूमि को विक्रय हस्तान्तरण नहीं करें, न खुर्द – बुर्द करें, न वादी को कजोड के हिस्से की आराजीयात से बेदखल करें, वादी को कजोड के हिस्से की आराजीयात से काश्त लेने में कोई रूकावट पैदा नहीं करे वादी को कजोड के हिस्से की आराजीयात का उपयोग उपभोग करने देवे इसमें कोई रूकावट पैदा नहीं करे, मौके व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें।

10. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 11 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई।

11. वादी द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1 श्री रामलाल, पीडब्ल्यू–2 श्री मांगीलाल, पीडब्ल्यू–3 श्री माना, पीडब्ल्यू–4 श्री ख्यालीलाल, पी. डब्ल्यू–5 श्री बंशीलाल के पेश किये।

12. वादी द्वारा दस्तावेज नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1 से 5, लिखापढी पोथी प्रदर्श पी6, हिन्दी अनुवाद पोथी का प्रदर्श 7, नामान्तरकरण नकल प्रदर्श 8, 9 पेश किये।

13. प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

Scanned with CamScanner

14. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर मनन किया। वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पति है जो मूल पुरूष गोदा के समय से चली आ रही हैं। गोदा के चार पुत्र कजोड, भगा, नाना व देवा हुए। कजोड के दो पुत्र वादी रामलाल व प्रतिवादी चुन्नीलाल हुए। भगा के पुत्र हीरा हुआ। नाना के पुत्री भोली एवं देवा के तीन पुत्र लाला, उदा व भुरा हुए। भगा के पुत्र हीरा के कोई सन्तान नहीं होने से कजोड के एक पुत्र प्रतिवादी सं. 1 चुन्नीलाल को गोद रखे जाकर उसकी लिखापढी चौपनिया भाट की पोथी में कर दी गई, जिसके आधार पर प्रतिवादी सं. 1 चुन्नीलाल हिरा के नाम दर्ज भूमि में एवं वादी रामलाल का कजोड की भूमि में हिस्सा बताया है जबकि कजोड की विरासत से रामलाल व चुन्नीलाल दोनों का ही नाम दर्ज कर लिया हैं। जिसे वादी द्वारा कजोड की भूमि में घोषणा का वाद प्रस्तुत किया हैं।

15. वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज चौपनिये की लिखापढी प्रदर्श पी6 व चौपनीये का हिन्दी अनुवाद प्रदर्श 7 का अवलोकन किया। दोनों ही लिखापढी में शब्दो के मेल नहीं खाते हैं, उदाहरण के तौर पर पोथी लिखापढी में अंकों व शब्दों में दस हजार का उल्लेख कर रखा है परन्तु हिन्दी अनुवाद में कही पर भी दस हजार का उल्लेख नहीं पाया गया हैं। पोथी लिखापढी जो कि प्रदर्श पी6 एक अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है एवं उक्त लिखापढी में किसी के भी हस्ताक्षर नहीं हैं, जिसको भी प्रथम दृष्टया माना नहीं जा सकता हैं।

16. वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 चुन्नीलाल का भगा के पुत्र हीरा के गोद जाने का कोई भी अन्य प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। जिससे चुन्नीलाल हीरा का गोद पुत्र हो, यह साबित हो सके। वादी द्वारा चुन्नीलाल के कोई पहचान दस्तावेज भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं करवाये है, जिसके आधार पर हीरा के गोद पुत्र के रूप में चुन्नीलाल को माना जा सके। रहा प्रश्न चुन्नीलाल के गोद जाने का ? चुन्नीलाल की वर्तमान आयु वादी द्वारा 60 वर्ष बताई हैं जबकि वादी द्वारा अपने वाद पत्र में गोदनामें की लिखापढी सम्वत् 2038 माह सुदी 9 को किये जाने का कथन किया हैं। इससे स्पष्ट है कि हिरा के द्वारा अपनी मृत्यु के पूर्व ही चुन्नीलाल को गोद रखा है, इसलिए वादीगण के कथन के आधार पर चुन्नीलाल की आयु लगभग 22 वर्ष प्रतीत होती है। "हिन्दू **दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 10 (4) में गोद जाने वाले**

Abhay
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

Scanned with CamScanner

की आयु 15 वर्ष से अधिक नहीं होने का स्पष्ट उल्लेख हैं" इससे प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हो गया है कि गोदनामे में गोद लेने वाले बालक बालिका की अधिकतम आयु 15 वर्ष नियत की गई हैं, इससे भी उक्त गोदनामा अपने आप में प्रभाव नहीं रखता हैं।

17. यदि वास्तव में चुन्नीलाल हीरालाल जी के गोद गया तों हीरा जी की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 141 प्रदर्श 9 में हीरा की विरासत के रूप में वादी के पिता कजोड व हीरा का भाई नाना का नाम दर्ज किया गया हैं। यदि कजोड के पुत्र चुन्नीलाल को हीरा द्वारा गोद लिया गया होता तो वादी के पिता कजोड हीरा की विरासत में चुन्नीलाल का नाम दर्ज करवा सकते थे, जो कि उक्त विरासत का नामान्तरकरण दिनांक 13.02.83 को उपतहसीलदार मावली द्वारा स्वीकृत किया गया हैं। उसके पश्चात् वादी के पिता कजोड की मृत्यु होने के पश्चात् कजोड की विरासत का नामान्तरकरण सं. 294 प्रदर्श 8 ग्राम पंचायत खेमपुर द्वारा दिनांक 20.05.2003 को स्वीकृत किया गया। उसके पश्चात् लगभग 15 वर्ष पश्चात् वादी द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि यदि ऐसा कोई उजर ऐतराज था तो वादी उक्त नामान्तरकरण संख्या 294 के वक्त ला सकता था अथवा उक्त नामान्तरकरण की अपील कर उसे दुरूस्त करवा सकता था, जबकि वादी द्वारा इतनी लम्बी अवधि का भी कोई विशेष कारण प्रस्तुत नहीं किया हैं एवं ना ही कोई ठोस दस्तावेज आदि प्रस्तुत किये हैं। जिसके आधार पर चुन्नीलाल को हीरा का गोद पुत्र साबित करा सके। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव में वाद को अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहा हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा, I.A.S.)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

Scanned with CamScanner